न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निग0 प्र0क्र0 /2002

1. दिनेश प्रसाद द्विवेदी तनय बाबूलाल द्विवेदी ग्रा0 कुम्हरौला तह0 रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0।

2. रामनरेश द्विवेदी तनय बाबूलाल द्विवेदी ग्रा0 कुम्हरौला तह0 रघुराजनगर जिला सतना म.प्र. :------आवेदकगण

विरूद्ध

कल्लू प्रसाद तनय शिव प्रसाद सा0 कुम्हरौला तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0। :------अनावेदक

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता विरूद्ध आदेश आयुक्त रीवा संभाग रीवा दिनांक 30.3.02 जो प्र0क्र0 54/निग0/01-02 में पारित ।

मान्यवर,

पुनरीक्षण आवेदन अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

11। अधीनस्थ न्यायालयका आदेशदिनांक 30.3.02 जिसकेद्वारा निगरानी संक्षिप्ततः उसमें उठायेगये बिन्दुओं को निर्णीत किये बिना निरस्त कीगई है तथा विधि-विधान न्यायिक प्रक्रिया तथा सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से निरस्त होने योग्य है ।

12। निगरानी ज्ञापन में जो बिन्दु आवेदक द्वारा उठाये गये थे, उनका निराकरणकमिश्नर महोदय ने नहीं किया तथा मामले की वास्तविक विषय वस्तु को नहीं समझा ।

13। अधीनस्थन्यायालयने यह निर्णय देने में भूल की है कि प्रश्नाधीन भूमियों के सम्बन्ध में ...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 889–दो/02 जिला–सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24–8–16	आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0 अवस्थी उपस्थित। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है । 2/ आवेदकगण के अभिभाषक ने अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवां के प्र0क्र0 54/निग0/01–02 में पारित आदेश दिनांक 30.03.02 के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ प्रकरण में आवेदकगण के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये । आवेदकगण ने अपने तर्क में कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के विपरीत आदेश पारित किया गया है । अनावेदक को अपील दायर करने का कोई अधिकार नहीं था । वसीयत के आधार पर उनके पक्ष में नामांतरण हुआ है तथा विलंब के लिये पर्याप्त आधार नहीं बताये गये है । अनावेदक के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में गलत सजरा पेश किया गया है तथा उसके संबंध में कब्जा आदि के बाद में गलत जानकारी पेश की है । कोर्ट में व्यवहार वाद का अनावेदक के द्वारा प्रकरण दायर किया गया था, जो निरस्त हुआ है । अनुविभागीय अधिकारी ने गलत आधार पर अपना निष्कर्ष निकाला है।	

4/ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नाधीन भूमियों के संबंध में एक व्यवहारबाद का प्रकरण द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 के न्यायालय में वर्ष 91 में चला था, जिसमें अनावेदक तथा आवेदकगण के पिता भी पक्षकार थे। इन पक्षकारों के मध्य वर्ष 91 में हुआ एक करारनामा की छायाप्रति भी अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई थी। उसमें भी इन्हीं भूमियों का उल्लेख है । इस संबंध में स्वयं आवेदकगण ने भी निगरानी मेमों में तथा बहस के दौरान पुष्टि की है । उपरोक्त तथ्य यह प्रमाणित करने के लिये पर्याप्त है कि नायब तहसीलदार के द्वारा नामांतरण आदेश पारित करने के पूर्व से ही अनावेदक भी प्रश्नाधीन भूमियों से जुड़े एक हितबद्ध पक्षकार रहे है। ऐसी स्थिति में कोई भी आदेश नामांतरण का पारित करने के पूर्व उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना आवश्यक था । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक को उनके आवेदन पर प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार मानने का जो निर्णय लिया है वह विधिनुकूल है। अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में आदेश पारित करते समय वह पक्षकार नहीं थे । अतः अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा विलंब माफी देने में कोई त्रुटि नहीं की है । अपर आयुक्त रीवा ने अपने आदेश दिनांक 30.03.2002 से अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है । जो कि मेरे मतानुसार उचित निर्णय है ।

5/ उपराक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है और अपर आयुक्त रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.03.2002 स्थिर रखा जाता है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य